न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 31 / 2023

तारीख फैसला 13.05.2023

उनवान

1 गुड्डी देवी उर्फ राजबेला पु0 श्री रमेशचन्द पत्नी गिरीराज प्रसाद [illegible] निवासी कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद हाल निवास 2 ए 1 शिव मंदिर [illegible] कुन्हाड़ी [illegible] तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

(वादनी)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से – श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है –

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कोटडादीप सिंह तहसील [illegible] कोटा में वादनी के शामलाती खाते में खाता स0 482 के खसरा नम्बर 1130, 1132, 682, 634 कुल किता 4 की 5.13 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है [illegible] राजबेला दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2075–2078 सलग्न है।

यह कि [illegible] आराजी में वादनी का नाम राजबेला [illegible] वादीनी का समस्त दस्तावेजो में नाम गुड्डी देवी है। [illegible] योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है [illegible] दुरूस्त [illegible] जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र [illegible] आयडी आदि में भी वादनी का नाम गुड्डी देवी है। वादनी [illegible] दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में लिखवाने का कानूनी अधिकार है [illegible] नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 12.05.2023 [illegible] प्रतिवादी ने [illegible] राजस्व रिकार्ड में [illegible] नाम दुरूस्त [illegible] करने से इंकार करने पर पैदा हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञप्ति व डिक्री पारित की जावे कि –

अतः वादनी ने निवेदन किया है कि ग्राम कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद जिला [illegible] में वादनी के शामलाती खाते में खाता स0 482 के खसरा नम्बर 1130, 1132, 682

[illegible] (राज.)

684 कुल किता 4 की 5.13 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम राजबेला के स्थान पर गुडडी देवी दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में राजबेला एवं गुडडी देवी एक ही महिला होना प्रकट किया है। वादनी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादनी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खातें में खाता सं0 482 के खसरा नम्बर 1130, 1132, 682, 684 कुल किता 4 की 5.13 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजबेला पुत्री रमेशचन्द्र के स्थान पर गुडडी देवी उर्फ राजबेला पुत्री रमेशचन्द दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली मे अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

विधिक से... ...लोक सेवा समिति ... दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)